

## अध्याय 5: बड़े खाते में डाले गये ऋण

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान (2012-13 से 2015-16), ₹1637.87 करोड़ की मूलधन राशि को कम्पनी ने बड़े खाते में डाल दिया था चूंकि अपर्याप्त/अप्रवर्तनीय सुरक्षा कवर के कारण वसूली की संभावनाएं क्षीण थी। बड़े खाते में डाले गये 11 ऋणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि कम्पनी को 2012-13 से 2015-16 के दौरान इन ऋणों को बड़े खाते में डालने से ₹1235.65 करोड़<sup>26</sup> की हानि हुई थी।

ऋणों की संस्वीकृति और वसूली में विभिन्न कमियों को विशेष रूप से कुछ उदाहरणों द्वारा दर्शाया गया है जो इन्हें बड़े खाते में डाले जाने के लिए उत्तरदायी हैं:

### क. मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कम्पनी ने मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) को ₹50 करोड़ के दो ऋण संस्वीकृत किये (जुलाई 2010 और सितम्बर 2010) और क्रमशः ₹50 करोड़, ₹46.5 करोड़ संवितरित किए थे जो एमआईएल के ₹2.08 करोड़ के गिरवी इक्विटी शेयरों से सुरक्षित किये गये थे। उधारकर्ता ने भुगतान में चूक करना प्रारंभ कर दिया (दिसम्बर 2010) और दूसरे ऋण की संस्वीकृति के चार महीने के भीतर कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (दिसम्बर 2010) के लिए अनुरोध किया। सम्पूर्ण मूलधन 96.50 को बड़े खाते में डाला गया था और वसूल नहीं किया गया ब्याज ₹178.14 करोड़ मूल्य का था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि निवर्तमान सामान्य ऋण नीति के प्रावधान के अनुसार कम्पनी के लिए जिसके शेयर को गिरवी रखा जा रहा था, 'ए' क्रेडिट रेटिंग निर्धारित की गयी थी, उधारकर्ता की क्रमशः 'बीबीबी'+ और 'बीबी'- की निम्न क्रेडिट रेटिंग पर ऋण संस्वीकृत किये गये थे। सामान्य ऋण नीति में भी 1.5:1 का अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात अनुबद्ध था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उधारकर्ता के डीईआर को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंड (एफसीसीबी) एवं देय विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर को अर्ध इक्विटी मानकर संगणना की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2007-08 से 2009-10 के बीच कम ऋण इक्विटी अनुपात 0.93 से 2.06 के बीच था जबकि वास्तविक डीईआर 1.94 से 2.06 के बीच था। एमआईएल के शेयर मूल्यों में अत्यधिक अस्थिर<sup>27</sup> गतिविधि के बावजूद कोई अन्य मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि

<sup>26</sup> बड़े खाते में डाला गया मूलधन ₹561.14 करोड़+वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 674.51 करोड़

<sup>27</sup> ₹ 200-250 (जनवरी 2006), ₹ 1200 जुलाई 2007 से ₹ 250 (सितम्बर 2008), ₹ 70 (मार्च 2009) और ₹ 368 (17 मार्च 2010 से ₹ 10 से ₹ 2 के अंकित मूल्य में विभाजित हुआ)

₹ 2.08 करोड़ के गिरवी शेयर में से आईएफसीआई को निवेश सूची को हस्तान्तरित करने के बजाय 7.89 लाख शेयर गिरवी रखने वाले को (23 मार्च 2011) वापस किये गये थे, जिससे उधारकर्ता को ₹ 2.70 करोड़ तक का अनुचित लाभ विस्तारित किया गया। गिरवी रखे गये शेष शेयरों के विक्रय में लापरवाही की गयी थी जिससे केवल ₹ 47.15 लाख शेयरों को अप्रैल 2016 तक विक्रय किया जा सका था। गिरवी रखते समय शेयरों का मूल्य ₹ 93 से ₹ 95 प्रति शेयर के बीच था, जो कि ₹ 1.8 से ₹ 2 प्रति शेयर की सीमा तक गिर गया था (मार्च 2016)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कार्यपालक समिति के द्वारा रेटिंग विचलन अनुमोदित था। चूंकि बाजार मूल्य संपरिवर्तन मूल्य से अधिक था, इसलिए इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन की उचित संभावना थी, इसलिए एफसीसीबीज को इक्विटी के रूप में माना गया था। शेयर मूल्य गतिविधि और कारोबार मात्रा की प्रचालित सामान्य ऋणनीति के अनुसार जांच की गयी थी। आईएफसीआई के डीमेट खाते में हस्तांतरित करने के बजाए शेयर असावधानी पूर्वक गिरवी रखने वालों को हस्तांतरित किये गये थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से विचलन विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि इस विचलन से प्रतिभूति की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया था। इस पर विचार किए जाने के बाद भी कि बाजार मूल्य संपरिवर्तन मूल्य की तुलना में उच्च था, एफसीसीबीज से इक्विटी में संपरिवर्तन केवल एक संभावना थी। रूढ़िवादी मापदंड के रूप में एफसीसीबीज को डीईआर की गणना के लिए इक्विटी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था क्योंकि संपरिवर्तन तो बाद की तिथि में किया जाना था। तथ्य यह है कि शेयर मूल्यों में अस्थिरता के बावजूद कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त नहीं की गयी थी।

#### **ख. श्री मेटालिक्स लिमिटेड**

आईएफसीआई ने श्री मेटालिक्स लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से सम्पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से ₹ 75 करोड़ की वित्तीय सहायता संस्वीकृत (मई 2011) की थी। प्रथम किश्त ₹ 56 करोड़ मई 2011 से संवितरित की गई थी और सितम्बर 2011 में शेष ₹ 19 करोड़ संवितरित किया गया था। एसएमएल के 49 प्रतिशत असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के गिरवी रखने से और दो प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के द्वारा सुविधा को सुरक्षित किया गया था। चूंकि एसएमएल ने विलम्ब से भुगतान किया था और मई 2012 से चूक कर रहा था, इसलिए खाता एनपीए बन गया था (दिसम्बर 2012)। जनवरी 2013 में प्रवर्तकों की

व्यक्तिगत गारंटी को प्रवर्तित किया गया और एसएमएल ने सकल संपत्ति के मूल्य में हास पर बीआईएफआर को (अगस्त 2014) सन्दर्भ दिया। ₹ 75.34 करोड़ के सम्पूर्ण मूलधन को बढ़े खाते में डाला गया था और ₹ 87.72 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा कि आईएफसीआई ने कर्जदार द्वारा चूक के मामले में बाहर निकलने के विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में एसएमएल के असुचीबद्ध इक्विटी शेयरों को स्वीकार किया था। बाद में पुर्नप्रयासों के बावजूद इन शेयरों का विक्रय नहीं हो सका था (सितम्बर 2012 और फरवरी 2014)। आईएफसीआई ने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि ओडिसा स्टील इकाईयों को कच्चे माल की कमी के कारण बंदी का सामना करना पड़ रहा था। अतः आईएफसीआई कच्चे माल जोखिम को घटाने में असफल रही थी, जिसको सीआरएमडी के द्वारा भी सामने लाया गया था, कि कच्चे माल के मूल्य में अस्थिरता/अयस्क लौह की आपूर्ति की गैर-उपलब्धता आदि एसएमएल की वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त कर्जदार की लाभप्रदता पैमाना संस्वीकृति से पूर्व वर्ष में घटा था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कम आपूर्ति के कारण कच्चे माल के मूल्यों में संभावित वृद्धि के विषय में उन्हें पता था; चूंकि एसएमएल को एकल और संयुक्त रूप से लौह अयस्क खदान आवंटित किया गया था इसलिए यह अपेक्षित था कि वह इन बाधाओं को दूर करेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कच्चे माल के मूल्य में अस्थिरता/गैर उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण कारक जिसने एसएमएल की वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, इनको मूल्यांकन स्तर पर अनदेखा किया गया था। कम्पनी ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया था कि एसएमएल फरवरी 2008 (एसएमएल द्वारा एकल आयोजित) और जनवरी 2006 (संयुक्त रूप से आयोजित) में लौह अयस्क खदानों के आवंटन से तीन से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद भी संस्वीकृति से पहले, लंबित आवश्यक अनुमतियों/संस्वीकृति के कारण खदान अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया था।

#### **ग. ग्लॉड्राईन वेंचर्स और होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड**

आईएफसीआई ने तीन मियादी ऋण ₹ 50 करोड़ (जून 2010 (टीएल-1)), ₹ 25 करोड़ (सितम्बर 2010 (टीएल-2)) और ₹ 25 करोड़ (मई 2011 (टीएल-3)) ग्लॉड्राईन वेंचर्स और होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को संस्वीकृत किए थे। ऋणों को प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी और

एक समूह कम्पनी, ग्लोडाईन टेक्नोसर्व लिमिटेड (जीटीएसएल) के 2.5 गुना (प्रथम दो ऋणों के लिए) /2.25 गुना (तीसरे ऋण) इक्विटी शेयरों की जमानत सुरक्षा पर क्रमशः जुलाई 2010, अक्टूबर 2010 और मई 2011 में संवितरित किए गए थे। कर्जदार द्वारा सभी तीन ऋणों के भुगतान में चूक की गयी (जनवरी/मार्च/अप्रैल 2012) और फरवरी 2013 में व्यक्तिगत गारंटी प्रवर्तित की गई। जीवीएचएल वर्तमान में परिसमापन के तहत हैं। ₹71.59 करोड़ के बकाया मूलधन को बढ़े खाते में डाला गया था और ₹ 67.43 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं गया।

लेखापरीक्षा में देखा कि गिरवीकर्ता कम्पनी (जीटीएसएल) की कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं थी जबकि निर्धारित सामान्य ऋण नीति की आवश्यकताओं के अनुसार कम्पनी जिसके शेयरों का गिरवी रखा गया था उनकी क्रेडिट रेटिंग 'ए' होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्वीकृति से पूर्व वर्ष<sup>28</sup> में शेयर मूल्यों में अधिक अस्थिरता के बावजूद कोई अन्य मूर्त सुरक्षा प्राप्त किये बिना गिरवी रखे गये शेयरों के विरुद्ध सभी ऋण संस्वीकृत किये गये थे। आईएफसीआई ने भी संस्वीकृति की शर्त में छूट दे दी, जो निर्धारित करती थी कि प्राथमिक प्रतिभूति किसी भी परिस्थिति में निर्गत/वापस नहीं की जायेगी जब तक ऋण का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता और तीन अवसरों पर ₹ 37.81 लाख<sup>29</sup> गिरवी शेयरों को निर्गत किया। कर्जदार मूलधन/ब्याज किस्तों को चुकाने में असफल रहा था, आईएफसीआई ने इस मामले में इवेंट ऑफ डिफाल्ट (ईओडी) की घोषणा की थी (जनवरी /मार्च/अप्रैल 2012)। आईएफसीआई ने ₹ 2.39 लाख गिरवी शेयरों को विक्रय (मई 2012) किया और ₹ 9.90 करोड़ प्राप्त किये। तत्पश्चात जून 2012 से अक्टूबर 2012 तक शेष गिरवी शेयरों का विक्रय नहीं किया गया था यद्यपि संस्वीकृति की शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ईओडी की घटना पर प्रतिभूति को प्रवर्तित किया जा सकता है। आईएफसीआई ने जब शेयरों के विक्रय को पुनः आरंभ करने का निर्णय (22 अक्टूबर 2012) लिया था, तब शेयरों के मूल्य पहले से ही ₹ 425.85/शेयर (25 जून 2012) से ₹ 63.45 (19 अक्टूबर 2012) तक नीचे गिर गये थे।

<sup>28</sup> 14 जून 2010 और 27 सितंबर 2010 में संस्वीकृत ऋणों के लिए जीटीएसएल का मूल्य 30/7/2009 को ₹ 643.75, 18/09/2009 को ₹389.1, 15/4/2010 को ₹ 756.8, 8/6/2010 को 592 और, 21/9/2010 को ₹ 1041.95।

6 मई 2011 को स्वीकृत ऋण के लिए जीटीएसएल का मूल्य (प्रति शेयर) 8/6/10 को ₹ 592, 21/09/10 को ₹ 1041.95, 9/12/10 को ₹ 643.75, 3/2/11 को ₹ 744.10, 18/2/11 को ₹ 389 और 29/4/11 को ₹ 413.70 था।

<sup>29</sup> मार्च 2011 सितम्बर 2011 और जून 2012 में क्रमशः ₹ 5 लाख, ₹ 17.81 लाख और ₹ 15 लाख था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त/नवम्बर 2016) कि सामान्य व्यापार परिचालन के तहत गिरवी शेयरों के विरुद्ध ऋण की मौजूदा बाजार प्रथा, और सामान्य ऋण नीति को ध्यान में रखते हुए सुविधा को संस्वीकृत और संशोधित किया गया था। यह भी बताया गया कि शेयरों को गिरवी रखना और निर्गत करना एक सामान्य प्रक्रिया थी और कंपनी की संतोषजनक इतिहास को ध्यान में रखते हुए सुविधा को बंद करना और ऋण को रद्द करना एक कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया है।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखना चाहिए कि ऋण संस्वीकृति के दौरान कोई मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गयी थी इसलिए समझौते की शर्तों के उल्लंघन में अधिक शेयरों को निर्गत करना कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था। पर्याप्त सुरक्षा कवर की उपलब्धता और ईओडी की घटना के बावजूद, आईएफसीआई ने शेष गिरवी शेयरों<sup>30</sup> का विक्रय नहीं किया (जून 2012 से अक्टूबर 2012)।

#### घ. जुपिटर बायोसाईसेज लिमिटेड

कम्पनी ने जुपिटर बायोसाईसेज लिमिटेड (जेबीएल) को ₹ 60 करोड़ का एक ऋण (दिसम्बर 2009/फरवरी 2010) संस्वीकृत/संवितरित किया जो कि कर्जदार की चल व अचल परिसम्पत्तियों (तीन विनिर्माता इकाईयां) पर प्रथम समरूप प्रभार, दूसरे प्रभार के आधार पर स्टॉक की गिरवी, ₹ 12 करोड़ के न्यूनतम आपदा विक्रय मूल्य वाले (डीएसवी) अनुप्रासंगिक सुरक्षा के बंधक, इसके प्रवर्तकों के द्वारा धारित जेबीएल के पांच लाख के असुचीबद्ध शेयरों की गिरवी, 9 जून 2010 से इनको सुचीबद्ध करने की शर्त के साथ, प्रवर्तक की व्यक्तिगत गारंटी और सहायक कम्पनी की कारपोरेट गारंटी से सुरक्षित किया जाना था। कर्जदार ने सितम्बर 2010 से प्रारंभ की गयी कुल दी जाने वाली 14 तिमाही किस्तों में से प्रथम तीन तिमाही मूलधन किस्तों प्रत्येक ₹ 4.25 करोड़ की (सितंबर, दिसंबर 2010 और मार्च 2011) का ही पुनः भुगतान किया था। ब्याज और मूलधन के भुगतान में चूक के कारण बाद में ऋण को (अप्रैल/जून 2011 से) वापस लिया गया, व्यक्तिगत गारंटी को लागू किया गया तथा आईएफसीआई के द्वारा एनपीए के रूप में खाते का वर्गीकरण किया गया था (दिसम्बर 2011)। कर्जदारों की संयुक्त बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार कम्पनी द्वारा दो सहवर्ती सम्पत्तियों का (फरवरी 2012), तीन विनिर्माता इकाईयों (मई/अगस्त 2012) पर कब्जा लिया गया था (अप्रैल 2012)। मार्च 2014 में, कर्जदार और इसके निदेशकों को कम्पनी ने

<sup>30</sup> जून 2012 में अंतिम तीन महीनों के लिए औसत अंतिम मूल्य ₹ 356.20 /शेयर और सुरक्षा कवर 2.5/2.25 गुना था।

इरादतन चूककर्ता घोषित किया था। बकाया मूलधन ₹ 45.73 करोड़ बढ़े खाते में डाला गया था और ₹ 87.57 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया था कि आईएफसीआई ने प्राथमिक प्रतिभूति (परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रथम प्रभार) लिए बिना ऋण की राशि को संवितरित किया और संवितरण से पहले, यद्यपि सामान्य ऋण नीति में प्रतिभूति लेना निर्धारित किया गया था, उसके लिए संवितरण की तिथि से तीन महीने की अनुमति दी गयी। इसके देयों की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा ईकाई-1 के संलग्नक और ईकाई-2 के लिए अन्य उधारदाताओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति न हाने के कारण तीन ईकाईयों में से केवल एक ईकाई पर कंपनी के पक्ष में समरूप प्रभार का विनिर्माण किया जा सका था। यद्यपि संस्वीकृति की शर्तों में ₹ 12 करोड़ के न्यूनतम आपदा विक्रय मूल्य के साथ संपत्तियों को गिरवी रखना तय किया गया था, कम्पनी ने ₹ 13.37 करोड़ (₹ 8.45 करोड़ और ₹ 4.92 करोड़) के मूल्यांकन पर दो संपत्तियों (हैदराबाद और कर्नाटक) को गिरवी रखना (फरवरी 2010) स्वीकार किया था। यद्यपि इन संपत्तियों को अंतिम रूप से (अक्टूबर 2012 और नवम्बर 2013) केवल ₹ 1.79 करोड़ के लिए विक्रय किया गया था (हैदराबाद ₹ 1.39 करोड़ और कर्नाटक ₹ 0.40 करोड़) जोकि ₹ 12 करोड़ के निर्धारित न्यूनतम डीएसवी का केवल 14.9 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तकों द्वारा धारित जेबीएल के गिरवी शेयर भी सूचीबद्ध नहीं हो पाये। चूक के मामले में किसी भी व्यवहार्य निकास मोड के बिना सूचीबद्ध न किये गये शेयरों की सशर्त स्वीकृति के परिणामस्वरूप यह केवल नाम मात्र की सुरक्षा रह गयी थी। उधारकर्ता के ऋण के लिए कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं थी, इस तथ्य के बावजूद कि कर्जदार का अवधि ऋण (₹ 244.12 करोड़) और कार्यशील पूंजी ऋणों (₹ 44.26 करोड़) के रूप में एकसपोजर था (31 मार्च 2009)।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2016) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और उल्लेख किया कि चूको की जांच की जा रही है और कर्मचारियों की जवाबदेही नियत की जाएगी।

#### **ड. केएलजी सिस्टल लिमिटेड**

कम्पनी ने केएलजी सिस्टल लिमिटेड (उधारकर्ता), को (अगस्त 2009) ₹ 50 करोड़ का एक ऋण संस्वीकृत और संवितरित किया जिसे उधारकर्ता की सभी अचल परिसंपत्तियों के प्रथम समरूप प्रभार तथा निर्दिष्ट प्राप्तियों का निलंब खाता एवं प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के

द्वारा सुरक्षित किया गया था। उधारकर्ता ने प्रथम किस्त के संबंध में ₹ 6.25 करोड़ में से ₹ 4.17 करोड़ का भुगतान किया (नवम्बर 2010) और शेष राशि और अगली मूलधन किस्त (फरवरी 2011) के भुगतान के लिए निर्धारित तिथिया को मई 2011 और अगस्त 2011 में संशोधित किया गया था। उधारकर्ता को अप्रैल 2011 में कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) ईजी के लिए सदभित किया गया था और कंपनी ने उधारकर्ता को एक पुनर्गठन पैकेज (जनवरी 2012) संस्वीकृत किया था। तथापि सीडीआर योजना असफल हो गयी थी (मार्च 2013), आईएफसीआई ने ऋण वापस माँग लिया और मई 2013 में प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी को प्रवर्तित किया। जनवरी 2014 में उधारकर्ता द्वारा एक विदेशी निवेश कम्पनी<sup>31</sup> को जारी किये गये एफसीसीबीज को चुकाने में विफलता के कारण माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उधारकर्ता के विरुद्ध समापन आदेश पास किया। ₹ 45.83 करोड़ की बकाया मूलधन राशि को बढ़े खाते में डाला गया था और ₹ 70.78 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋण संस्वीकृत किया गया यद्यपि अचल परिसंपत्तियों के कवरेज अनुपात के अनुसार सुरक्षा कवर केवल 1.13<sup>32</sup> (एफएसीआर) था, जबकि सामान्य ऋण नीति के अनुसार 1.5 का एफएसीआर अनुबद्ध था। आईएफसीआई ने बिना किसी प्राथमिक सुरक्षा के ऋण राशि का संवितरण किया (सभी अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार) और प्रसारित सामान्य ऋण नीति से विचलन में सुरक्षा निर्माण के लिए संवितरण की तिथि से तीन महीनो की अनुमति दी थी जो कि संवितरण से पहले सुरक्षा के निर्माण को अनुबद्ध करती है। समझौते की शर्तों के अनुसार यदि उधारकर्ता 3 महीने के अन्दर प्रतिभूति निर्माण में विफल रहा तो उसे अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना था। आईएफसीआई ने तीन महीनो की निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रतिभूति के गैर निर्माण के बावजूद ₹ 16.26 लाख (लगभग) के अतिरिक्त ब्याज राशि की छूट दी थी।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि चल संपत्ति के बंधक रखने की सुरक्षा के निर्माण के बाद ऋणो को संवितरित किया गया था और परिसम्पत्तियों पर प्रभार के विस्तार के लिए एसबीआई (एक ओर अग्रणी) से सिद्धान्तक रूप से अनुमोदन के कारण ₹ 16.26 लाख के अतिरिक्त ब्याज की 50 प्रतिशत की छूट दी गयी।

<sup>31</sup> बैंक ऑफ न्यूयार्क मैलन, लंदन ब्रांच बनाम केएलजी सिस्टल लिमिटेड।

<sup>32</sup> अमूर्त संपत्ति छोड़ने के बाद।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिना प्रथमिक प्रतिभूति का निर्माण किये हुये संवितरण करना अविवेकपूर्ण था क्योंकि एफएसीआर, अनुबद्ध एफएसीआर से कम था। इसके अतिरिक्त, संवितरण के समय चल संपत्तियों का मूल्य अभिलेखित नहीं किया गया था। सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के आधार पर दण्डस्वरूप ब्याज को छोड़ना कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था चूंकि प्राथमिक प्रतिभूति का निर्माण नहीं किया गया था।

### च. टीआरएस टेकनोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने टीआरएस टेकनोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (टीटीपीएल) को ₹ 100 करोड़ के एक ऋण की संस्वीकृति (फरवरी 2010) दी थी जो कि शिव-वानी आयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड (एसवीओजीएल, प्रवर्तकों) के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों (2.25 गुना कवर<sup>33</sup>) को गिरवी रखकर और प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के द्वारा सुरक्षित किया गया था। अतिरिक्त प्रतिभूति के प्रावधान के साथ ऋण का दो<sup>34</sup> बार पुर्निर्धारण किया गया जिसमें टीटीपीएल ने ₹ 90 करोड़ के अनुमानित मूल्य के साथ कुछ चल परिसंपत्तियों (ड्रिलिंग रिग्स) को गिरवी प्रस्तुत किया जिसे कम्पनी ने बिना किसी स्वतंत्र मूल्यांकन के स्वीकार (मार्च 2013) किया था। पुर्नभुगतान में चूकों के कारण, कम्पनी ने गिरवी रखे शेयरों का विक्रय किया और ₹ 15.78 करोड़ की राशि वसूल की। यद्यपि एसएआरएफआईएसआई अधिनियम के अन्तर्गत गिरवी परिसम्पत्तियों के विक्रय के लिए (अक्टूबर 2013) प्रारंभ की गयी वसूली कार्रवाई अभी तक लम्बित थी। ₹ 68.85 करोड़ की बकाया ऋण राशि को बड़े खाते में डाल दिया गया और वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 38.84 करोड़ (31 मार्च 2016) था। कर्जदार के द्वारा परिसम्पत्तियों के अधिक मूल्यांकन के संदर्भ में कम्पनी ने इस मामले को आरबीआई को धोखाधड़ी के मामले के रूप में अवगत कराया (जनवरी 2015)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में दी जाने वाली चल संपत्तियों की स्वीकृति के समय उचित सावधानी नहीं बरती गयी चूंकि कम्पनी ने अतिरिक्त प्रतिभूति स्वीकार करते समय (मार्च 2013) एक स्वतंत्र मूल्यांकन करने की बजाए कर्जदार द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन पर, इस तथ्य के बावजूद भरोसा किया कि परिसम्पत्तियों को आठ वर्ष पुराना बताया गया था और कार्य स्थल पर बेकार रखी थी। बाद में एसएआरएफआईएसआई अधिनियम के तहत कार्रवाई आरंभ करने के लिए किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन के समय यह ज्ञात हुआ कि इस परिसंपत्ति का मूल्यांकन कर्जदार के ₹ 90 करोड़ के मूल्यांकन के विरुद्ध

<sup>33</sup> जिसमें 76.24 लाख शेयर प्रत्यक्ष गिरवी रखे और 28.02 लाख शेयरों का एनडीयू/पीओए था।

<sup>34</sup> प्रवर्तक कम्पनी के साथ नकदी समस्याओं के कारण अप्रैल 2012 और मार्च 2013 में



निम्नतर अर्थात ₹ 13.50 करोड़ (डीएसवी-फरवरी 2014) और ₹ 9.80 करोड़ (जून 2014) था। इस कारण, आरक्षित मूल्य को ₹4.05 करोड़ तक कम करने के बावजूद अब तक (मार्च 2016) एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अन्तर्गत नीलामी में परिसंपत्ति को विक्रय नहीं किया जा सका। कर्जदार की कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद दूसरा पुर्निधारण (मार्च 2013) किया गया था जबकि पिछले दो वर्षों (2011-12 और 2012-13) के दौरान नकारात्मक नकदी प्रवाह के कारण इसे हानियां हुई थी, इसकी पिछली बकाया देय राशि फरवरी 2013 में इसके गिरवी रखे शेयरों की बिक्री से ₹ 8.60 करोड़ वसूली की गयी थी, पिछले दो वर्षों में निवल संपत्ति नकारात्मक हुई और कर्जदार समूह कम्पनी (एसवीओजीएल) को दिए गए ऋण में ₹ 10.77 करोड़ की राशि की चूक देखी गयी। यहां तक कि गैर निपटान वचनपत्र (एनडीयू)/अटर्नी अधिकार (पीओए) के तहत रखे गए ₹ 28.02 लाख शेयर विक्रय नहीं किये गये थे।

प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि रिग की प्रतिभूति का स्वतंत्र मूल्यांकन किए बिना इसे स्वीकार किया गया था चूंकि उसने कर्जदार द्वारा प्रदान किए गए बीजकों और बीमा कवर पर विश्वास किया था। यह कहा गया कि गैर निपटान समझौते/अटर्नी अधिकार के तहत रखे गए शेयर विक्रय नहीं किये गए चूंकि इनसे पर्याप्त वसूली संभव नहीं थी। आगे कहा गया कि यह अतिरिक्त प्रतिभूति कवर प्रदान करता था जिसके मूल्यांकन के लिए कोई पद्धति नहीं थी और कम्पनी ने कर्जदार द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन को सद्भाव में स्वीकार किया था। तकनीकी उपकरण होने के वजह से कार्यस्थल जाँच के दौरान इनका मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके आगे कहा गया कि नीलामी में रिग विक्रय में असफलता के लिए मूल्यांकन को उत्तदायी नहीं ठहराया जा सकता।

उत्तर मान्य नहीं है चूंकि स्वतंत्र मूल्यांकन किये बिना प्रतिभूति की स्वीकृति कम्पनी के मानक परिचालन प्रक्रियाओं में दोषों को परिलक्षित करती है। कर्जदारों के मूल्यांकन पर निर्भरता औचित्यपूर्ण नहीं थी चूंकि कर्जदार भी रिग का मालिक नहीं था अपितु केवल पट्टेदार ही था। बीमा पॉलिसी में भी जीएलपी के तहत आवश्यक (2012-13) आईएफसीआई का पुनर्ग्रहणाधिकार दर्ज नहीं था। स्वीकृति से पूर्व बंधक रखी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नहीं करना कम्पनी की ओर से लापरवाही को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति कवर अपर्याप्त बनाया गया। यह तथ्य, कि एनडीयू/पीओए के तहत शेयरों का विक्रय नहीं किया जा सकता था, स्वीकृत प्रतिभूति की निम्न गुणवत्ता को दर्शाता है चूंकि इनको चूक के मामले में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता था।

### छ. ईएसएस ईएसएस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने (जनवरी 2011) ₹ 50 करोड़ का एक ऋण ईएसएस ईएसएस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड (ईईपीएल) को संस्वीकृत किया और 30 मार्च 2011 को इसे संवितरित किया। सुर्या फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एसपीएल, संबंधित समूह की इकाई) के ₹ 101.93 करोड़ के इक्विटी शेयर (ऋण का दोगुना मूल्य) गिरवी रखे गये और प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी की प्रतिभूति भी ली गई। प्रतिभूति की कमी थी (अगस्त/सितम्बर 2011 से) और समझौते के अनुसार प्रतिभूति कवर के टॉप-अप<sup>35</sup> के लिए अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे गये थे। बाद में, मूलधन/ब्याज में अनेक चूक हुई और प्रतिभूति कवर 1.58 गुना तक गिर गया (अप्रैल 2012)। ऋण को वापस ले लिया गया और व्यक्तिगत गारंटी को प्रवर्तित किया गया था (मई 2012)। कर्जदार समूह ने बीआईएफआर को दिसम्बर 2013 में संदर्भ दायर किया था। यद्यपि ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल ने (जनवरी 2016) कर्जदार और गारंटीकर्ता को आईएफसीआई को (जनवरी 2016) ₹ 49.20 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया था। परन्तु वर्तमान तिथि तक कोई भी वसूली नहीं की गयी। कम्पनी द्वारा इसके अधिकांश शेयरों<sup>36</sup> को विक्रय करने के बावजूद अपने सभी बकाया वसूल नहीं कर पायी थी। ₹ 44.21 करोड़ के बकाया मूलधन को बट्टे खाते में डाला गया और वसूला नहीं किया गया ब्याज ₹ 44 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निवर्तमान सामान्य ऋण नीति के अनुसार कम्पनी जिसके शेयर गिरवी रखे गये थे उस कम्पनी के लिए 'ए' क्रेडिट रेटिंग निर्धारित की गयी थी। परन्तु आईसीआरए के द्वारा एसपीएल को 'एलबीबीबी-<sup>37</sup>' नियत की गई थी। कर्जदार की पात्रता मानदंड की जांच नहीं की गयी और ऋण स्वीकृति के दौरान केवल गिरवीकर्ता कम्पनी एसपीएल की पात्रता मानदंड का सत्यापन किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्जदार की निवल संपत्ति केवल ₹ 22 करोड़ थी और पुर्नभुगतान क्षमता का भी उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि इसकी कुल आय ₹ 19 लाख सालाना थी (31 मार्च 2009)। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग ने अपनी जोखिम टिप्पणी में इसके इक्विटी शेयरों के मूल्य में अपक्षरण के जोखिम के विषय में इंगित किया था, इस तथ्य के बावजूद कम्पनी

<sup>35</sup> शेयर मूल्य में 15 प्रतिशत की गिरावट पर प्रतिभूति का टॉप-अप करना होगा अर्थात् अप्रैल 2012 तक 4.87 करोड़ शेयर

<sup>36</sup> मई 2016 तक 9.60 करोड़ शेयरों में से 54 लाख शेयर नहीं बेचे जा सके क्योंकि एसपीएल के शेयर की ट्रेडिंग निलम्बित थी।

<sup>37</sup> दीर्घावधि ऋणों के लिए समय पर पुर्नभुगतान करने के संबंध में सुरक्षा की मध्यम डिग्री का संकेत दिया गया।

ने किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति को प्राप्त किये बिना प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में एसपीएल के शेयरो को स्वीकार किया। कुल गिरवी शेयरो में से 21.43 प्रतिशत मार्च 2014 तक लॉक-इन-पीरियड में थे परन्तु इस तथ्य के बावजूद उनको प्राथमिक प्रतिभूति में शामिल किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि वह मार्च 2014 के बाद ही विक्रय किये जा सकते थे। संस्वीकृति के तुरंत बाद, अधिस्थगन अवधि छह महीने से 12 महीनो के लिए बढ़ा दी गयी और मासिक किस्त की संख्या 24 से बढ़ाकर 48 कर दी गयी जिससे पुर्नभुगतान अवधि का विस्तार किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई/नवम्बर 2016) कि यद्यपि लाभप्रदता और तरलता अनुपात में कमी हुई कुल नकदी अनुमान और उच्च ब्याज दर की उपलब्धता के कारण अधिस्थगन बढ़ाने के साथ-साथ पुर्नभुगतान अवधि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। यह भी कहा गया कि गिरवी रखे गये शेयरों के बदले में ऋण सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान कर्जदार के वित्तीय पैमानो (पुर्नभुगतान की क्षमता का निर्धारण) पर विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने सीआरएमडी द्वारा इंगित किये गये शेयरो के प्रतिभूति जोखिम के बावजूद किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति के बिना ही शेयरो<sup>38</sup> के संबंध में ऋण संस्वीकृत किया था। मौजूदा वित्तीय परिणामो के कारण समाहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए संस्वीकृति की शर्तो में परिवर्तन करना औचित्यपूर्ण नहीं था।

#### **ज. स्थिति इन्श्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**

आईएफसीआई ने ₹ 50 करोड़ और ₹ 30 करोड़ के ऋण स्थिति इन्श्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएसपीएल) को जायलोग सिस्टमज लिमिटेड (जेडएसएल), कर्जदार द्वारा प्रवर्तित एक समूह कम्पनी, के शेयरों<sup>39</sup> की 2.25 गुना निर्धारित प्रतिभूति कवर के साथ संस्वीकृत (मार्च 2011 और अगस्त 2011) और संवितरित किये थे। नकदी की कमी के कारण एसआईएसपीएल द्वारा मार्च 2012 से पुर्नभुगतान में चूक हुई और ऋण एनपीए घोषित कर दिये गये (सितम्बर 2013)। मार्च 2016 तक ₹ 41.89 करोड़ की मूलधन राशि

<sup>38</sup> संस्वीकृति से 52 सप्ताह पहले एसपीएल शेयर का उच्च/निम्न मूल्य एनएसई पर क्रमशः ₹ 356.80/ ₹ 108.55 था।

<sup>39</sup> 3 माह के औसत के आधार पर ₹ 405 प्रति शेयर (सितम्बर 2011) की दर पर 39.25 लाख शेयर

सम्पूर्ण रूप से बटटे खाते में डाल दी गयी थी और वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 24.82 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि क्रेडिट मूल्यांकन दोषपूर्ण था चूंकि कम्पनी के इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद, कि एसआईएसपीएल की कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं थी और ₹ 100 करोड़ की सामान्य ऋण नीति के निर्धारित अनुबंध के प्रति इसकी निवल मालियत ₹ 14.06 करोड़ थी, ऋण संस्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त बिना किसी मूर्त प्रतिभूति प्राप्त किये ऋण संस्वीकृत किया गया। इसके स्थान पर कम्पनी ने दो बार गिरवी शेयरों को निर्गत किया (मार्च 2012 और सितम्बर 2012) इसके बावजूद कि कर्जदार बकाया अतिदेय चुकाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल हुआ था। यह आईएफसीआई के लिए महंगा साबित हुआ चूंकि 17 अक्टूबर 2012 तक ₹ 6.88 करोड़ अतिदेय था और आईएफसीआई ने इसकी वसूली के लिए ₹ 2.44 लाख गिरवी शेयरों को विक्रय करने का निर्णय लिया था। यद्यपि, ₹ 0.90 लाख शेयरों के विक्रय द्वारा केवल ₹2.20 करोड़ की वसूली करने के बाद, यह ज्ञात होने के बावजूद कि कर्जदार अतिदेय चुकाने में बार-बार विफल रहा था, कम्पनी ने कर्जदार के अतिदेय को चुकाने के आश्वासन पर भरोसा किया और विक्रय को रोक दिया (19 अक्टूबर 2012)। चूंकि एसआईएसपीएल अतिदेय चुकाने में दोबारा विफल रहा, आईएफसीआई ने शेयरों का विक्रय पुनः प्रारंभ करने का निर्णय (31 अक्टूबर 2012) लिया परन्तु तब तक शेयरों के मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट<sup>40</sup> आ गयी थी। परिणामस्वरूप यह सभी गिरवी शेयरों के विक्रय से केवल ₹ 22.20 करोड़ ही वसूल कर पाया।

कर्जदार ने माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के सम्मुख मामले को रखा और शेयरों के विक्रय के संबंध में स्थगन आदेश (नवम्बर 2012) प्राप्त कर लिया। इसके बाद, माननीय न्यायालय ने कर्जदार को (दिसम्बर 2012) अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करने के लिए निर्देशित किया और गिरवी शेयरों के विक्रय के अतिरिक्त आईएफसीआई को दंडात्मक कदम उठाने से रोक दिया। तदनुसार, एसआईएसपीएल ने तीसरे पक्ष के बंधक भूमि के रूप में अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत की। यद्यपि अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करते समय इसकी स्वामित्व जांच में उचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप यह एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत अप्रवर्तनीय रही, जब कम्पनी को ज्ञात हुआ (दिसम्बर 2014) कि भूमि के स्वामित्व को धोखाधड़ी से हासिल किया गया था। धोखाधड़ी के मामले के रूप में आरबीआई को

<sup>40</sup> 17 अक्टूबर 2012 को ₹ 282.85 प्रति शेयर से ₹ 134 प्रति शेयर 1 नवम्बर 2012 को

(जुलाई 2015) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को (अगस्त 2015) इसकी सूचना विलम्ब से दी गयी थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) चूंकि कर्जदार के पास ऋण सेवा के लिए वित्तीय क्षमता नहीं थी इसे जेडएसएल की वित्तीय सामर्थ्य के आधार पर संस्वीकृत किया गया था जिसके शेयर प्रतिभूति के रूप में रखे गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर्जदार की वित्तीय स्थिति कमजोर थी और आईएफसीआई के वित्तीय हितों की रक्षा करने हेतु इस पर उचित ध्यान देना चाहिए था।

### **डॉ. रामस्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

कम्पनी ने रामस्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरएसआईएल) को ₹ 20 करोड़ और ₹ 11.6 करोड़ के दो कारपोरेट ऋणों की संस्वीकृति (दिसम्बर 2009, मार्च 2010) दी थी जो कि मुख्य रूप से आरएसआईएल के ₹ 78.75 लाख के गिरवी इक्विटी शेयर तीन महीने के ब्याज की ऋण सेवा आरक्षित खाते<sup>41</sup> पर धारणाधिकार और प्रवर्तक की व्यक्तिगत गारंटी के माध्यम से प्रतिभूत थे। मई 2011 में कृषि भूमि को बंधक के रूप में रखकर अतिरिक्त प्रतिभूत ली गयी थी। नवम्बर 2010 और जून 2011 में ऋण दो बार पुनर्गठित किये गये थे। परन्तु कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा और 15 जुलाई 2011 से चूक करना आरंभ कर दिया था। कर्जदार के सभी विनिर्माण संयंत्र बंद थे और निवल मालियत नकारात्मक हो गयी। चूको के कारण जनवरी 2012 से खाता एनपीए में बदल गया था। कर्जदार ने बीआईएफआर के लिए संदर्भ (07 नवम्बर 2012) बनाया जो निरस्त हो गया था (19 फरवरी 2014)। ₹ 24.74 करोड़ के संपूर्ण मूलधन बकायो को बड़े खाते में डाल दिया गया था और वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 37.67 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस तथ्य के बावजूद ऋण संस्वीकृत किया गया कि कर्जदार की 3.38 की उच्च ऋण इक्विटी अनुपात (डीईआर) थी तथा उसने पूर्व वर्ष (2008-09) में हानि वहन की थी जबकि सामान्य ऋण नीति के अनुसार 1.5 के अधिकतम डीईआर और पिछले तीन वर्षों से लाभ कमाना अनुबद्ध था। हालांकि प्रथम ऋण की संस्वीकृति से पहले आरएसआईएल के शेयर मुल्यों में अस्थिरता<sup>42</sup> थी, आईएफसीआई ने किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति का आग्रह नहीं किया। बकाया देयों को वसूलने के लिए समय में गिरवी रखे गये

<sup>41</sup> एक ऐसा खाता है जिसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए ऋण सेवा दायित्वों के बराबर राशि रखी जाती है।

<sup>42</sup> ₹ 70-80 (मार्च 2006), ₹ 130-145 (मार्च 2007), ₹ 190-280 (दिसम्बर 2007 से जनवरी 2008), ₹ 28-32 (दिसम्बर 2008), ₹ 80-85 (दिसम्बर 2009)

इक्विटी शेयरो के विक्रय करने मे शिथिलता हुई थी, आरएसआईएल शेयरो<sup>43</sup> में पर्याप्त मात्रा<sup>44</sup> में कारोबार हुआ था फिर भी कम्पनी ने ₹ 78.75 लाख में से ₹ 9.7 लाख शेयरो का विक्रय किया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि 21.50 लाख (निश्चित अवरूद्धता अवधि) के अतिरिक्त गिरवी रखे शेयरो जो कि गैर निपटान वचनपत्र/अटार्नी अधिकार के माध्यम से थे तथा ऋण के पुर्ननिर्धारण और बंधक भूमि की अतिरिक्त प्रतिभूत के कारण शेयर विक्रय नहीं किये गये थे (30 नवम्बर 2010)। सीडीआर को ध्यान में रखते हुए दूसरा पुनर्निर्धारण अनुमोदित किया गया (जून 2011)।

इन तथ्यों के संबंध में उत्तर को देखा जाना आवश्यक है कि आसानी से लागू की जा सकने वाली प्राथमिक प्रतिभूति के बावजूद गिरवी रखे शेयरों को बकाया देयो की वूसली के लिए समय पर विक्रय नहीं किया गया। नवम्बर 2010 में ऋण पुनर्निर्धारित इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि कर्जदार को ऋण पुनर्गठन के लिए सीडीआर सेल को भेजा गया था और निश्चित अवरूद्धता शेयरो का विक्रय नहीं किया जा सकता था जबकि कृषि भूमि का मूल्य बहुत कम था और यह एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत अप्रवर्तनीय थी।

#### **ज. एलेम ईन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और फिन्सिटी ईन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड**

आईएफसीआई ने डीएसपी मेरिल लिंच कैपिटल लिमिटेड के मौजूदा ऋण के पुर्नभुगतान के लिए एलेम ईन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ईआईपीएल) और फिन्सिटी ईन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) प्रत्येक को ₹ 50 करोड का मियादी ऋण (अक्टूबर 2008) संस्वीकृत किया था। प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी, व्यवसायिक संपत्ति की गिरवी और मेटास इन्फ्रा लिमिटेड (एमआईएल, समूह की एक इकाई) के गिरवी शेयरो (ऋण का 3.5 गुना) की प्रतिभूति थी। यद्यपि संवितरण से पहले (7 नवम्बर 2008) प्रतिभूति शर्त को संशोधित किया गया था जिसके तहत एमआईएल के 1.03 करोड गिरवी शेयर (4.25 गुणा) जिसका मूल्य ₹ 447 करोड था, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) के 9.7 लाख शेयर (0.20 गुणा) ₹ 22.77 करोड मूल्य के और अचल संपत्ति (1.25 गुणा) की गिरवी की जानी थी और आशय पत्र 10 नवम्बर 2008 को जारी किया गया था।

<sup>43</sup> अक्टूबर 2010, नवम्बर 2010, सितम्बर 2014/नवम्बर 2014। ₹ 189.19 लाख की राशी शेयर के विक्रय से प्राप्त हुई।

<sup>44</sup> अक्टूबर-दिसम्बर 2010 और जनवरी 2011 - सितम्बर 2011 के दौरान क्रमशः ₹ 1.36 करोड और ₹ 1.39 करोड शेयर की ट्रेडिंग मात्रा एनएसई और बीएसई पर थी।

एफआईपीएल और ईआईपीएल प्रत्येक को ₹ 42.50 करोड़ (1/4 दिसम्बर 2008) संवितरित किया गया था और शेष ₹ 7.5 करोड़ की शेष राशि रद्द कर दी गयी थी। (19 जून 2009)।

चूंकि ईआईपीएल और एफआईपीएल समझौते<sup>45</sup> के अनुसार नकदी मार्जिन और प्रतिभूति कवर के लिए टॉप अप उपलब्ध कराने में विफल रहने पर आईएफसीआई ने सुविधा को रद्द कर दिया (7 जनवरी 2009) और खातों के नकलीकरण द्वारा सत्यम कम्प्यूटरस में धोखधड़ी का पता लगाने के बाद शेयरों की गिरवी को प्रवर्तित किया। सभी शेयरों के विक्रय के माध्यम से ₹ 90.08 करोड़ की राशि वसूली गयी थी जिनमें से प्रवर्तन निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार एससीएसएल के विरुद्ध जांच के कारण ₹ 5.35 करोड़ गैर-धारणाधिकार खाते में पड़े हुए थे। रिकॉल नोटिस निर्गत किया गया (अक्टूबर 2009) और गारंटियों को परिवर्तित किया (नवम्बर 2009) जो कि ऑनर नहीं हुआ। दोनों ऋणों के संबंध में बकाया मूलधन ₹ 11.11 करोड़ को बढ़े खाते में डाल दिया गया और वसूल न किया गया ब्याज ₹ 37.84 करोड़ था (31 मार्च 2016)।

समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कर्जदार की पात्रता मानदंड की जांच नहीं की गयी थी और केवल गिरवीकर्ता कम्पनी, एमआईएल की पात्रता मानदण्ड का ऋणों को संस्वीकृत करते समय सत्यापन किया गया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने कर्जदार के भुगतान इतिहास/क्रेडिट योग्यता का विश्लेषण करने के लिए अन्य कर्जदारों से विशेष रूप से डीएसपी मेरिल लिंच कैपिटल लिमिटेड से क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त नहीं की थी। ऋण बिना किसी मूर्त सुरक्षा के केवल गिरवी शेयरों के संबंध में संवितरित किये थे।

यह भी देखा गया कि संस्वीकृति पत्र और आशय पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि व्यवसायिक /अचल संपत्ति को गिरवी बनाया जाना चाहिए था परन्तु आईएफसीआई ने बिना किसी समुचित सावधानी के कृषि भूमि को गिरवी (30 दिसम्बर 2008) रखना स्वीकार कर लिया क्योंकि इस भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की बजाय आवसीय भूमि मान कर ₹ 84.10 करोड़ (17 दिसम्बर 2008) किया गया था। आईएफसीआई ने प्रतिभूति के रूप में कृषि भूमि को स्वीकार करने से पहले किसी भी कार्यस्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया और ना ही भूमि उपयोग का स्वतंत्र सत्यापन कराया। आईएफसीआई ने जनवरी 2016 में इस भूमि का मूल्यांकन किया जिसके अनुसार अनुमानित मूल्य ₹ 4.62 करोड़ था।

<sup>45</sup> प्रारंभिक गिरवी रखे गये शेयरों के बाजार मूल्य 5% से 20% गिरने पर अतिरिक्त शेयरों से टॉपअप करना होगा और गिरवी शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट अर्थात् 20% से ज्यादा को नकद मार्जिन से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

संवितरण के एक महीने के अन्दर ही गिरवी संपत्ति के अधिक मूल्यांकन के विषय में ज्ञात होने के बावजूद कम्पनी ने ईआईपीएल के मामले को आरबीआई को धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट करने में लगभग सात वर्ष का विलम्ब किया, और कम्पनी ने अभी तक एफआईपीएल की धोखाधड़ी के मामले के संबंध में आरबीआई को सूचित नहीं किया है, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों मामलों में गिरवी रखी गयी संपत्ति एक ही थी और उसका मूल्यांकन बढ़ाकर किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त, नवम्बर 2016) कि एमआईएल के वित्तीय क्षमताओं के आधार पर ऋण की संस्वीकृति की गयी थी जिनके शेयर ऋण की सुरक्षा के लिए गिरवी रखे गये थे। सत्यम घोटाले के परिणामस्वरूप आईएफसीआई ने तत्काल गिरवी रखने के लिए कम्पनी से आग्रह किया और मूल व्यवसायिक संपत्ति के बजाय कृषि भूमि को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जैसा कि संस्वीकृति की शर्तों में बताया गया था।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान कर्जदार (पुर्नभुगतान क्षमता के निर्धारण) के वित्तीय पैमानों पर विचार नहीं किया गया था। यद्यपि आईएफसीआई ने व्यवसायिक/अचल संपत्ति के स्थान पर कृषि भूमि को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया था और यहां तक कि भूमि को 30 दिसम्बर 2008 को गिरवी रखा गया और सत्यम घोटाला 7 जनवरी 2009 को हुआ था।

#### **त. इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड और इंड स्विफ्ट लिमिटेड**

आईएफसीआई ने जुलाई/अगस्त 2009 में, इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड (आईएसएलएल) और ₹ 50 करोड़ का मियादी ऋण संस्वीकृत/संवितरित किया गया और इंड स्विफ्ट लिमिटेड (आईएसएल) को अक्टूबर/ नवम्बर 2009 में ₹ 50 करोड़ का मियादी ऋण संस्वीकृत/संवितरित किया गया था। आईएसएलएल और आईएसएल की सभी वर्तमान और भविष्य अचल और चल परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार और प्रवर्तको की व्यक्तिगत गारंटियों की प्रतिभूति थी। दोनों कर्जदारों ने जुलाई 2012 के बाद पुर्नभुगतान में चूक की थी और कॉर्पोरेट ऋण पुर्नगठन (सीडीआर) में चला गया। आईएफसीआई ने सीडीआर में भागीदारी नहीं की और कर्जदारों के देयों के पुर्नगठन के प्रस्तावों को स्वीकार किया था (जून 2013)। पुर्नगठन के बाद भी कर्जदार ने चूक की थी और पुर्नगठित पैकेज को रद्द कर दिया गया (सितम्बर 2014) हालांकि खाता, एनपीए हो गया था (31 मार्च 2014) प्रत्याह्वान प्रस्ताव जारी किया गया (दिसम्बर 2014) और गारंटियों को प्रवर्तित किया गया (जनवरी 2015)। परिसमापन



नोटिस 19 जून 2015 को जारी किये गये थे और जुलाई 2015 में वसूली के लिए मामला दायर किया गया था। आईएफसीआई ने अपने ₹ 62.18 करोड़ के कुल बकाया (दिसम्बर 2015) को एडलवाइस एआरसी लिमिटेड को अभिहस्तांकित किया था (फरवरी 2016) और ₹ 26.88 करोड़<sup>46</sup> की प्रतिभूति प्राप्तियां और नकद प्राप्त किया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनों ऋण केवल कारपोरेट गारंटी की अंतरिम प्रतिभूति के आधार पर संवितरित किये थे और संवितरण की तिथि से एक वर्ष के बाद<sup>47</sup> सभी परिसम्पत्तियां पर प्रभार सृजित किये गये थे (दिसम्बर 2010)। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने किसी भी अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग किए बिना ₹ 158.25 करोड़ का प्रथम समरूप प्रभार अन्य उधारदाताओं के पक्ष में देना जारी रखा (फरवरी, अप्रैल और दिसम्बर 2011)<sup>48</sup> जो कि कर्जदारों द्वारा चूक के मामले में अनेक उधारदाताओं के बीच एक ही प्रतिभूति समान रूप से शेयर की जाएगी। हालांकि आईसीआरए ने वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट और निकट भविष्य में बड़े ऋण के पुर्नभुगतान के संबंध में होने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम के कारण जून 2012 में बकाया ऋण की रेटिंग को डाउनग्रेड किया।

यह भी आगे देखा गया कि आईएफसीआई ने वसूली के लिए तीव्र कार्रवाई करने के स्थान पर कर्जदारों की बड़ी वित्तीय लागत (2012-13 में ₹ 86.41 करोड़ और ₹ 139.61 करोड़ आईएसएल और आईएसएलएल में क्रमशः), प्रति शेयर नकारात्मक नकदी आय और कर्जदारों द्वारा वहन की गयी हानियों (आईएसएल और आईएसएलएल में ₹ 120.94 करोड़ और ₹ 119.91 करोड़ क्रमशः 2012-13 में) के विषय में अवगत होने के बावजूद देयों का पुर्नगठन किया। कम्पनी अपने ऋण का विक्रय/अभिहस्तांकन के अपने प्रथम प्रयास में विफल रही थी (अक्टूबर 2015) क्योंकि कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद, आरक्षित मूल्य 10 प्रतिशत से कम हो गया था (जनवरी 2016) और अंततः केवल एक पार्टी ने बोली प्रस्तुत की थी और अभिहस्तांकन का अनुमोदन ₹ 26.88 करोड़ में किया गया था (फरवरी 2016)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि जब तक आईएसएल न्यूनतम निर्धारित सुरक्षा कवर को बंधक के माध्यम से पूरा कर रहा था तब तक समरूप प्रभार नए ऋणदाताओं के पक्ष में दिये गये थे।

<sup>46</sup> ₹ 4.03 करोड़ नकद के रूप में और ₹ 22.85 करोड़ एसआर के रूप में

<sup>47</sup> ऋण के संवितरण से पहले ऋण नीति के आधार पर प्रतिभूति का निर्माण किया जाना चाहिए।

<sup>48</sup> एफएसीआर दिसम्बर 2010, मार्च 2011 और नवम्बर 2011 में क्रमशः 1.69, 1.61 और 1.54 थी।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि समरूप आधार पर प्रतिभूति को लागू करके वसूली की शीघ्र कार्रवाई करना कठिन है और इसलिए अन्य ऋणदाताओं को प्रथम समरूप प्रभार सौंपना कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.30 करोड़ की हानि हुई।

### बड़े खाते में डाले गये ऋणों के मामले में मंत्रालय की प्रतिक्रिया

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2017) कि बड़े खाते में डाले गये ऋणों सहित अनेक मामले वे हैं जिन्हें संस्वीकृति तब दी गयी थी जब आईएफसीआई एक निजी कम्पनी समझी जाती थी और चूक का पहला उदाहरण भी सरकार के पास बहुमत शेयरधारिता आने से पहले देखा गया था। चूंकि ये विषय बोर्ड स्तर के निर्णय के हैं यह मंत्रालय की टिप्पणी के लिए उपयुक्त नहीं होंगे।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं है कि मार्च 2005 तक सरकार नियंत्रित संस्थाओं की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से नीचे गिर जाने के बाद भी आईएफसीआई के लिए ₹ 520.31 करोड़<sup>49</sup> की कुल राशि के अनुदान की दो किस्तें जारी की गयी थी। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी जब यह मामले संस्वीकृत किये गये थे, सरकार नियंत्रित संस्थाओं की कम्पनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी (लगभग 45 से 46 प्रतिशत) थी। बड़े खाते में डाले गये इन ऋणों का भार भी आईएफसीआई के द्वारा वहन किया गया था जब यह दिसम्बर 2012 में डीम्ड सरकारी कम्पनी बन चुकी थी।

<sup>49</sup> ₹ 300 करोड़ 2005-06 में और ₹ 220.31 करोड़ 2006-07 में